The Hindu Plus Summary : 24.02.2024

मेन्स मास्टर

X फैक्टर

प्रसंग:

• **किसान विरोध प्रदर्शन:** 2023 और 2024 के दौरान, भारत में किसानों ने कृषि सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। इन विरोध प्रदर्शनों को सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

पृष्ठभूमि:

• **इंटरनेट शटडाउन:** राज्य सरकारों, विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान में, ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बार-बार इंटरनेट शटडाउन लगाया है। ये शटडाउन अक्सर बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और कई घंटों या दिनों तक चलते हैं।

• **सोशल मीडिया प्रतिबंध:** केंद्र सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल एक्स जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित खातों और सामग्री को ब्लॉक करने के लिए दबाव डालने के लिए भी किया है। यह अक्सर स्पष्ट औचित्य या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना होता है।

• **कानूनी चुनौतियाँ:** ट्विटर (अब एक्स) ने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस तरह के प्रतिबंधों को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि पूर्ण अवरोधन आदेश अत्यधिक थे और मुक्त भाषण सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे।

वर्तमान संकट:

• **एक्स की पारदर्शिता रिपोर्ट:** एलोन मस्क द्वारा एक्स के अधिग्रहण के बाद से, प्लेटफ़ॉर्म ने सरकारी सामग्री अवरुद्ध अनुरोधों का विवरण देने वाली पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया है। पारदर्शिता की यह कमी मस्क के नेतृत्व में संभावित सेंसरशिप के बारे में चिंता पैदा करती है।

• **समस्याग्रस्त अदालत का फैसला:** कर्नाटक उच्च न्यायालय में एकल-न्यायाधीश पीठ ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किए बिना या विशिष्ट कारण बताए बिना व्यापक सामग्री अवरुद्ध आदेश जारी करने के सरकार के अधिकार को बरकरार रखा। यह निर्णय एक चिंताजनक मिसाल कायम करता है और अत्यधिक सरकारी सेंसरशिप को सशक्त बनाता है।

लोकतंत्र ख़तरे में:

• **स्वतंत्र भाषण के लिए खतरा:** सरकार और एक्स दोनों की ये कार्रवाइयां सीधे तौर पर भारत में स्वतंत्र भाषण और खुले संचार के लिए खतरा हैं। यह लोकतांत्रिक समाज के मूलभूत स्तंभ को कमजोर करता है।

• **सोशल मीडिया उपस्थिति पर प्रभाव:** सेंसरशिप के बारे में चिंताएं सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में काम करने से रोक सकती हैं, जिससे सार्वजनिक चर्चा के लिए सूचना और प्लेटफार्मों तक पहुंच सीमित हो सकती है।

• **भारत की छवि को नुकसान:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इंटरनेट स्वतंत्रता के प्रति भारत के दृष्टिकोण को बढ़ती चिंता के साथ देखता है। यह दृष्टिकोण एक स्वतंत्र और खुले समाज के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जोखिम रखता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• **एक्स की अपील:** कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चल रही अपील अत्यधिक महत्व रखती है। एक अनुकूल परिणाम सामग्री मॉडरेशन के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट कर सकता है, और अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।

• **सरकारी पारदर्शिता:** सरकार को इंटरनेट शटडाउन और सामग्री अवरुद्ध आदेशों के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करके पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया के बारे में चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। नागरिक समाज और हितधारकों के साथ खुला संवाद और सहयोग महत्वपूर्ण है।

• **स्वतंत्र भाषण की रक्षा करना:** स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र भाषण और खुली इंटरनेट पहुंच को कायम रखना आवश्यक है। इसके लिए सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों से ऑनलाइन संचार के लिए अधिक संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

विकास प्रतिमान बदलना

प्रसंग:

• भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारतीय नागरिकों की भलाई के बारे में चिंता व्यक्त की।

• इसमें तर्क दिया गया कि केवल जीडीपी पर ध्यान केंद्रित करने से समान आय वितरण और सभ्य रोजगार सृजन की आवश्यकता की अनदेखी होती है।

विकास पथ पर ऐतिहासिक नजर:

• संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दोनों सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्राथमिकता दी और औसतन 7.2% हासिल किया।

• हालांकि इससे आर्थिक विस्तार हुआ, लेकिन यह आय असमानता, रोजगार सृजन की कमी और अपर्याप्त ग्रामीण विकास जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा।

सकल घरेलू उत्पाद-केवल-विकास दृष्टिकोण में मुख्य मुद्दा:

1. समानता की अनदेखी:

• **बढ़ती असमानता:** यह मॉडल अक्सर अमीर व्यक्तियों और निगमों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाता है, जिससे अमीर और गरीबों के बीच एक महत्वपूर्ण आय अंतर पैदा होता है। इससे न केवल सामाजिक अशांति पैदा होती है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास में भी बाधा आती है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने से वंचित रह जाता है।

• **सामाजिक गतिशीलता का अभाव:** समग्र विकास पर ध्यान अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और व्यक्तियों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर देता है, जिससे उनके लिए आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ना और अपने जीवन स्तर में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। यह मौजूदा असमानताओं को कायम रखता है और निराशा की भावना पैदा करता है।

• **सामाजिक ताने-बाने का क्षरण:** बढ़ती असमानता से सामाजिक तनाव, संस्थानों में विश्वास कम हो सकता है और यहां तक कि राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है। यह समाज की समग्र भलाई को कमजोर कर सकता है और अन्य क्षेत्रों में प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

2. सतत विकास:

• **पर्यावरणीय क्षरण:** औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता वायु और जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में योगदान करती है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु शमन और संसाधन की कमी से जुड़ी दीर्घकालिक आर्थिक लागत भी पैदा करता है।

• **संसाधनों की कमी:** अस्थिर प्रथाओं से पानी, उपजाऊ भूमि और खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हो सकती है। इसका भावी पीढ़ियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की संभावना सीमित हो सकती है।

• **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता:** भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन में इस मॉडल का योगदान इन कमजोरियों को और बढ़ा देता है और लाखों लोगों की भलाई के लिए खतरा पैदा करता है।

3. ग्रामीण आबादी की उपेक्षा:

• **सीमित अवसर:** बड़े पैमाने के उद्योगों और शहरी केंद्रों पर ध्यान अक्सर आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे ग्रामीण समुदायों की नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित हो जाती है, जिससे गरीबी बनी रहती है और शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होता है।

• **कम उपयोग किए गए संसाधन:** ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति और सांस्कृतिक विरासत होती है जो अपर्याप्त निवेश और बुनियादी ढांचे के कारण अप्रयुक्त रह जाते हैं। यह समावेशी और सतत विकास के लिए एक चूके हुए अवसर को दर्शाता है।

• **शहरी-ग्रामीण विभाजन को बढ़ाना:** ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा से आय, बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता के मामले में शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच अंतर बढ़ जाता है। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ पैदा हो सकती हैं जो समग्र राष्ट्रीय विकास में बाधा डालती हैं।

4. जलवायु संकट संघर्ष:

• **अंतर्राष्ट्रीय दबाव:** आर्थिक विकास के लिए जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता इसे पेरिस समझौते जैसे समझौतों में निर्धारित वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के विपरीत रखती है। इससे अंतरराष्ट्रीय दबाव और संभावित व्यापार प्रतिबंध पैदा होते हैं, जिससे वैश्विक समुदाय के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण में बाधा आती है।

• **वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ:** निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और जलवायु अनुकूलन उपायों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। यह मॉडल विकसित देशों से आवश्यक वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुरक्षित करना कठिन बना देता है।

• **प्रतिष्ठा को नुकसान:** जलवायु परिवर्तन पर भारत का रुख इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सतत विकास के लिए विदेशी निवेश और साझेदारी को आकर्षित करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

समाधान:

• **स्थानीय प्रणाली दृष्टिकोण:** स्थानीय समुदायों को उनके विशिष्ट संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और असमानता के समाधान विकसित करने के लिए सशक्त बनाना। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, टिकाऊ कृषि प्रथाओं और समुदाय-संचालित आर्थिक विकास पहलों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

• **ग्रामीण फोकस:** ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्राथमिकताएँ बदलें:

◦ **ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल कनेक्टिविटी तक पहुंच में सुधार।

◦ **लघु उद्योगों और कृषि को समर्थन देना:** छोटे व्यवसायों और किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और बाज़ार पहुंच प्रदान करना।

◦ **ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना:** नवाचार को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर पैदा करना।

• **नीतिगत बदलाव:** पश्चिमी-प्रभुत्व वाले आर्थिक मॉडल से दूर जाएं जो समानता और स्थिरता पर विकास को प्राथमिकता देते हैं। इसमें शामिल हो सकता है:

◦ **गांधीवादी सिद्धांतों पर दोबारा गौर करना:** आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए गांधी के आत्मनिर्भरता, स्थानीयता और सामाजिक न्याय के दर्शन से प्रेरणा लें।

◦ **वैकल्पिक आर्थिक मॉडल विकसित करना:** उन मॉडलों का अन्वेषण और कार्यान्वयन करें जो भलाई, स्थिरता और संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

◦ **सामाजिक संकेतकों को प्राथमिकता देना:** आर्थिक प्रगति को मापते समय जीडीपी के साथ-साथ गरीबी में कमी, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और शिक्षा प्राप्ति जैसे मैट्रिक्स को शामिल करें।

निष्कर्ष:

भारत को आर्थिक विकास के लिए एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पीछा करने से परे हो। इस नए मॉडल में समावेशी और सतत विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने और सभी के लिए कल्याण और समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस नए दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत अपने नागरिकों और दुनिया के लिए अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य बना सकता है।

केंद्र ने सरोगेसी नियमों में संशोधन किया, जोड़ों को दाता युग्मक का उपयोग करने की अनुमति दी

सरोगेसी नियम संशोधित: स्पष्टीकरण के साथ मुख्य बिंदु

परिवर्तन:

• **दाता युग्मक की अनुमति:** जोड़े अब सरोगेसी के लिए दाता अंडे या शुक्राणु का उपयोग कर सकते हैं यदि कोई चिकित्सीय स्थिति एक साथी को अपना युग्मक प्रदान करने से रोकती है। यह दाता युग्मकों पर मार्च 2023 के प्रतिबंध को पलट देता है और विभिन्न स्थितियों के कारण बांझपन का सामना करने वाले जोड़ों के लिए सरोगेसी तक पहुंच का विस्तार करता है।

• **एकल महिलाओं पर प्रतिबंध रहेगा:** संशोधन केवल "इच्छुक जोड़ों" पर लागू होता है, जिसका अर्थ है कि एकल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) को अभी भी सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के अंडे का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे अदालत में चुनौती दी गई है, जिसमें एकल व्यक्तियों और समान-लिंग वाले जोड़ों के बहिष्कार पर सवाल उठाए गए हैं।

आशय:

• **जोड़ों के लिए व्यापक पहुंच:** यह परिवर्तन वृद्ध जोड़ों और मेयर-रोकिटांस्की-कुस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम जैसी विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों को सरोगेसी को माता-पिता बनने के विकल्प के रूप में विचार करने की अनुमति देता है।

• **सीमित प्रभाव:** विशेषज्ञों का अनुमान है कि बांझपन से पीड़ित 1% से भी कम महिलाओं को दाता अंडे और सरोगेसी दोनों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, यह विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करता है।

विवाद:

• **दूसरों का बहिष्कार:** संशोधन एकल व्यक्तियों, अविवाहित जोड़ों और एलजीबीटीक्यू+ जोड़ों को सरोगेसी तक पहुंच से बाहर रखना जारी रखता है। इससे परिवार निर्माण के अधिकारों पर भेदभाव और सीमाओं के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

• **एकल महिलाओं के अंडे पर प्रतिबंध:** दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले में एकल महिलाओं के लिए अपने स्वयं के अंडे का उपयोग करने की आवश्यकता को चुनौती दी गई है, यह तर्क देते हुए कि यह उनकी उम्र के लिए चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक और भेदभावपूर्ण है। इससे भविष्य में और बदलाव हो सकते हैं।

सरोगेसी किसके लिए है?

• **गर्भाशय संबंधी समस्याएं:** गायब या असामान्य गर्भाशय वाली महिलाएं, या जिनका गर्भाशय चिकित्सीय स्थितियों के कारण हटा दिया गया हो, सरोगेसी के लिए प्राथमिक उम्मीदवार हैं।

• **असफल आईवीएफ:** जो महिलाएं बिना सफलता के कई असफल आईवीएफ चक्रों से गुजर चुकी हैं, वे विफलता के विशिष्ट कारणों के आधार पर, सरोगेसी पर भी विचार कर सकती हैं।

• **गर्भावस्था के जोखिम:** ऐसी स्थितियों वाली महिलाओं के लिए सरोगेसी एक विकल्प हो सकता है जो गर्भावस्था को खतरनाक या असंभव बना देती है।

• **एंडोमेट्रियल अस्तर संबंधी समस्याएं:** एक पतली एंडोमेट्रियल अस्तर (8 मिमी से कम) गर्भावस्था को पूरा करना मुश्किल बना सकती है। ऐसे मामलों में सरोगेसी पर विचार किया जा सकता है।

ध्यान देने योग्य बातें:

• **जटिलताएँ:** सरोगेसी में जटिल नैतिक और चिकित्सीय विचार शामिल होते हैं। संभावित जटिलताओं में बच्चे को सरोगेट की प्रतिरक्षा प्रणाली विरासत में मिलना और शुरुआती स्तनपान से वंचित होना शामिल है।

• **विकल्प:** सभी आईवीएफ विफलताओं के लिए स्वचालित रूप से सरोगेसी की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य विकल्पों की खोज करना और सफलता दर को समझना महत्वपूर्ण है।

• **गर्भ का वातावरण:** पोषण और हार्मोन के स्तर सहित सरोगेट का गर्भाशय का वातावरण, बच्चे के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। सावधानीपूर्वक चयन और निगरानी आवश्यक है।

सीडीएस का कहना है कि ग्रे-ज़ोन युद्ध युद्ध की शब्दावली में नवीनतम प्रविष्टि है

प्रमुख बिंदु:

• **अवधारणा:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने "ग्रे-ज़ोन युद्ध" के बारे में बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला, एक सैन्य रणनीति पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे गिर रही है, जिससे पारंपरिक रूप से प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो गया है।

• **उदाहरण:** जनरल चौहान दक्षिण चीन सागर और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की गतिविधियों को ग्रे-ज़ोन युद्ध के संभावित उदाहरणों के रूप में उद्धृत करते हैं।

• **विशेषताएँ:** ग्रे-ज़ोन युद्ध में हाइब्रिड रणनीति (सैन्य और नागरिक तत्वों का मिश्रण), आर्थिक जबरदस्ती, दुष्प्रचार अभियान और साइबर हमले जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पूर्ण संघर्ष शुरू किए बिना रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

• **चुनौतियाँ:** ग्रे-ज़ोन युद्ध का जवाब देना जटिल है, क्योंकि इसमें युद्ध की सीमा के नीचे सूक्ष्म आक्रामकता की पहचान करने और उसका मुकाबला करने की आवश्यकता होती है।

• **संभावित लाभ:** जनरल चौहान के अनुसार, ग्रे-ज़ोन युद्ध का "लाभांश" समय के साथ धीरे-धीरे प्राप्त किया जा सकता है, जिससे इसका पता लगाना और प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है।

• **ऐतिहासिक संदर्भ:** उनका सुझाव है कि ऐतिहासिक विवाद अक्सर ग्रे-ज़ोन रणनीति को बढ़ावा देते हैं, जिसका अर्थ है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री दावे और भारत के साथ अनसुलझे सीमा मुद्दे वर्तमान स्थिति में योगदान करते हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

• ग्रे-ज़ोन युद्ध एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, और इसके निहितार्थों पर अभी भी सैन्य रणनीतिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों द्वारा बहस की जा रही है।

• ग्रे-ज़ोन युद्ध का उदय 21वीं सदी में संघर्ष की बदलती प्रकृति को दर्शाता है, जहां राज्य तेजी से गैर-पारंपरिक तरीकों से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

• ग्रे-ज़ोन युद्ध के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें राजनयिक प्रयास, आर्थिक प्रतिबंध, साइबर रक्षा क्षमताएं और सैन्य तैयारी शामिल हैं।

लद्दाख के लिए छठी अनुसूची पर वार्ता विफल हुई तो आमरण अनशन करूंगा: वांगचुक

प्रसंग:

• अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद बना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है।

• लद्दाखी नेताओं और गृह मंत्रालय के बीच बातचीत से नहीं निकला ठोस समाधान.

मांगें:

• **राज्य का दर्जा:** लद्दाख का तर्क है कि राज्य का दर्जा उन्हें अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।

• **छठी अनुसूची:** छठी अनुसूची में शामिल होने से आदिवासी सुरक्षा उपाय, नौकरी में आरक्षण और संसदीय सीटें मिलेंगी।

चिंताओं:

• **औद्योगिक शोषण:** वांगचुक को डर है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह लद्दाख भी औद्योगिक लॉबी द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील है।

• **स्थानीय नियंत्रण का अभाव:** वह निर्णय लेने और संसाधन आवंटन में उपराज्यपाल की एकतरफा शक्ति की आलोचना करते हैं।

• **टूटे हुए वादे:** वांगचुक ने छठी अनुसूची का दर्जा देने के भाजपा के घोषणापत्र के वादों पर प्रकाश डाला, जो पूरे नहीं हुए हैं।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची: मांगों और मतभेदों को समझना

भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची एक विशेष प्रावधान है जो पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है।

लोग छठी अनुसूची का दर्जा क्यों मांगते हैं:

भारत में कई समूह, विशेष रूप से वे क्षेत्र जो वर्तमान में छठी अनुसूची में शामिल नहीं हैं, इसके तहत शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। विशिष्ट संदर्भ के आधार पर कारण अलग-अलग होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य तर्कों में शामिल हैं:

• **स्वायत्तता और स्वशासन:** छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को भूमि, वन और प्रथागत कानूनों पर नियंत्रण सहित अपने आंतरिक मामलों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। इसे उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

• **विकास और कल्याण:** समर्थकों का तर्क है कि 6वीं अनुसूची यह सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती है कि आदिवासी समुदाय अपने क्षेत्रों के भीतर संसाधन प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों से लाभान्वित हों।

• **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुसूची राज्य विधानसभाओं और स्वायत्त परिषदों में आरक्षित सीटों का प्रावधान करती है, जिससे आदिवासी समुदायों के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

• **शोषण से सुरक्षा:** छठी अनुसूची के तहत समावेशन को निगमों और सरकार सहित बाहरी लोगों द्वारा शोषण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, जो आदिवासी भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा करता है।

5वीं और 6वीं अनुसूची के बीच अंतर:

5वीं और 6वीं अनुसूची के संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

5वीं अनुसूची:

• **अनुच्छेद 244(1):** राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

• **अनुच्छेद 244(2) और (3):** जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए इन क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषदों के निर्माण का प्रावधान है।

• **अनुच्छेद 244(4):** राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और साहूकारी का विनियमन शामिल है।

• **पांचवीं अनुसूची:** अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों की सूची, जिनमें शामिल हैं:

  ◦ आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध।

  ◦ आदिवासियों को साहूकारी देने का विनियमन।

  ◦ अनुसूचित क्षेत्र के भीतर गैर-आदिवासी पेशे, व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर प्रतिबंध।

  ◦ अनुसूचित क्षेत्र के भीतर शराब की बिक्री या उपभोग पर प्रतिबंध।

  ◦ अनुसूचित क्षेत्र के भीतर होने वाले कुछ अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।

छठी अनुसूची:

• **अनुच्छेद 244(2):** राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से चार पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को "स्वायत्त जिलों" के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

• **छठी अनुसूची:** इन स्वायत्त जिलों के प्रशासन के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:

  ◦ विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ जिला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण।

  ◦ स्वायत्त जिलों के लिए राज्य विधानमंडल में सीटों का आरक्षण।

  ◦ जिला परिषदों की वित्तीय शक्तियों के लिए विशेष प्रावधान।

  ◦ जनजातियों के प्रथागत कानूनों और प्रथाओं का संरक्षण।

  ◦ स्वायत्त जिले में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राज्यपाल के लिए कार्रवाई का प्रावधान।

मुख्य अंतर:

• **स्वायत्तता:** 6वीं अनुसूची विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त परिषदों के निर्माण के साथ, 5वीं अनुसूची की तुलना में काफी अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है।

• **प्रतिनिधित्व:** 6वीं अनुसूची स्वायत्त जिलों के लिए राज्य विधानमंडल में आरक्षित सीटों की गारंटी देती है, जबकि 5वीं अनुसूची विशिष्ट प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं देती है।

• **भौगोलिक दायरा:** 5वीं अनुसूची पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है, जबकि 6वीं अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित है।

• **विशिष्टता:** 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची के व्यापक प्रावधानों की तुलना में स्वायत्त जिलों के प्रशासन के लिए अधिक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है।

• छठी अनुसूची की आलोचनाएँ:

इसके लाभों के बावजूद, छठी अनुसूची को आलोचना का भी सामना करना पड़ता है:

• **अलगाव की संभावना:** स्वायत्त क्षेत्र बनाने से जनजातीय समुदाय अलग-थलग हो सकते हैं और व्यापक समाज के साथ उनके एकीकरण में बाधा आ सकती है।

• **सत्ता का दुरुपयोग:** स्वायत्त परिषदों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी हो रही है।

• **अंतर-आदिवासी संघर्ष:** छठी अनुसूची कभी-कभी एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच मौजूदा संघर्षों को बढ़ा देती है।

निष्कर्ष:
छठी अनुसूची की स्थिति की मांग भारत में जटिल सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाती है। हालाँकि यह स्वायत्तता, विकास और सांस्कृतिक सुरक्षा के संदर्भ में संभावित लाभ प्रदान करता है, संभावित अलगाव, शक्ति के दुरुपयोग और अंतर-आदिवासी संघर्षों से संबंधित चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। छठी अनुसूची के तहत शामिल करने पर विचार करने से पहले प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ और जरूरतों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स बूस्टर

इसरो: PAPA ने कोरोनल मास इजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया

-आदित्य-एल1 पर आदित्य (PAPA) पेलोड के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज चालू हो गया है और 10-11 फरवरी, 2024 के दौरान कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया गया है। 🛰️
- PAPA एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है जिसे कम ऊर्जा रेंज में सौर पवन इलेक्ट्रॉनों और आयनों के इन-सीटू माप के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो दो सेंसर से सुसज्जित है: सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच (स्वीप) और सौर पवन आयन संरचना विश्लेषक (SWICAR) . 🌌
- सेंसर 10 eV से 3 keV की ऊर्जा सीमा में इलेक्ट्रॉनों और 10 eV से 25 keV की ऊर्जा सीमा और 1-60 amu की द्रव्यमान सीमा में आयनों को मापते हैं, और सौर वायु कणों के आगमन की दिशा को मापने में भी सक्षम हैं। . 📊
- पेलोड 12 दिसंबर, 2023 से चालू है, और SWEEP और SWICAR सेंसर वर्तमान में सौर पवन इलेक्ट्रॉनों और आयनों का निरंतर अवलोकन कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी और सौर घटनाओं का विश्लेषण करने में उनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। 🌞
- PAPA पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC)/ISRO की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला और एवियोनिक्स इकाई द्वारा विकसित किया गया है। 🚀